

सरकार के संयुक्त सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-02 (बजट), दिनांक-02.05.2016 के आलोक में मुख्य शीर्ष-3456 सिविल पूर्ति उप मुख्य शीर्ष-00 लघु शीर्ष 001 निदेशन तथा प्रशासन उप शीर्ष 0002 जिला प्रभार विपत्र कोड-N-3456000010002 मॉग सं-18, गैर योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष- 2016-17 में व्यय हेतु वेतनादि एवं अन्य मदों में आवंटन प्राप्त हुआ है, जिसे जिला के संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को निम्न प्रकार उपावटित किया जाता है:-

क्र०	ईकाइ/कुट सं०	जिला स्थापना उप समा०, मधेपुरा	जिला नजारत उप समा०, मधेपुरा	अनुमंडल पदा०, मधेपुरा	अनुमंडल पदा०, उदाकिशुनगंज	कुल योग
01	02	03	04	05	06	07
1.	वेतन 0101	900000	00	800000	300000	2000000
2	जी०या० भत्ता 0103	1125000	00	1000000	375000	2500000
3	आवास भत्ता 0104	140000	00	110000	50000	300000
4	चिकि० भत्ता 0106	12000	00	9000	4000	25000
5	अन्य भत्ता 0107	7500	00	7500	00	15000
	कुल	2184500	00	1926500	729000	4840000
6	कार्या० व्यय 1301	--	22000	--	--	22000
7	वाहन एवं ईंधन 1302	--	200000	--	--	200000
8	यात्रा व्यय 1101	10000	00	--	--	10000
9	वर्दी/पोषाक 1306	--	2500	2500	--	5000
10	विद्युत प्रभार 1304	--	10000	--	--	10000
11	प्रशिक्षण व्यय 2003	--	30000	--	--	30000
12	व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएँ 2801	--	50000	50000	--	100000
	कुल योग-	2194500	314500	1979000	729000	5217000

(मो०- बावन लाख सतरह हजार रुपये मात्र)

- संबंधित राशि का उपावटन वित्त विभाग के पत्रांक-2561, दिनांक-17.04.1998 एवं पत्रांक-423/वि०, दिनांक-31.03.2016 के आलोक में किया जाता है।
- उपर्युक्त उपावटित राशि मुख्य शीर्ष-3456 सिविल पूर्ति उप मुख्य शीर्ष-00 लघु शीर्ष 001 निदेशन तथा प्रशासन उप शीर्ष 0002 मॉग सं-18, जिला प्रभार विपत्र कोड-N-3456000010002 गैर योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष- 2016-17 में विकलनीय होगा।
- संगत वित्तीय प्रावधानों के अंतर्गत उपावटित राशि का नियमानुकूल व्यय संबंधित उपावटन प्राप्त करने वाले पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
- इस आवंटन से स्वीकृत बल के अधीन में कार्यरत पदाधिकारियों/कर्मचारियों का ही भुगतान किया जाएगा।
- 2801 व्यवसायिक एवं विशेष सेवा की राशि से संविदा आधारित कर्मियों को ही मानदेय का भुगतान किया जाना है।
- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी इस आवंटन से न्यायिक मामलों से संबंधित वादों एवं सेवानिवृत्त पदाधिकारी/कर्मचारी के बकाया वेतनादि का भुगतान कर देंगे ताकि वेसे मामलों न्यायालय वाद का सामना नहीं करना पड़े।
- उपावटित राशि का विचलन कर अन्य मदों में कदापि व्यय नहीं किया जाय।
- इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाए।

38/-
समाहर्ता,
मधेपुरा।

ज्ञापांक-458-2/स्था०, मधेपुरा, दिनांक-30.06.2016

प्रतिलिपि:- जिला नजारत उप समाहर्ता, मधेपुरा/जिला स्थापना उप समाहर्ता, मधेपुरा/अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा एवं उदाकिशुनगंज/कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा/उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

समाहर्ता,
मधेपुरा।